यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/वित्त अधिकारी बागेश्वर, उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी बागेश्वर, उत्तराखंड, के माह अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त एवं श्री मुकेश कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.11.2018 से 05.12.2018 तक श्री एस॰के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजबहादुर एवं श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.04.2015 से 08.05.2015 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2006 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**: सम्पूर्ण बागेश्वर जिला है इकाई का क्रियाकलाप राज्य मे शैक्षणिक गतिविधियों पर पर प्रशासननिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	2202 माध्यमिक शिक्षा 4504	330.95	323.79	-	7.16
2016-17	2202 माध्यमिक शिक्षा 4504	292.67	268.43	-	24.24
2017-18	2202 माध्यमिक शिक्षा 4504	378.77	376.60	-	2.17
2018-19 **Upto Oct** 18	2202 माध्यमिक शिक्षा 4504	235.00	189.62	-	-

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	2202 अशा॰ माध्यमिक शिक्षा (4506)	2034.19	2014.69	-	19.50
2016-17	2202 अशा॰ माध्यमिक शिक्षा (4506)	1661.15	1645.34	-	15.81
2017-18	2202 अशा॰ माध्यमिक शिक्षा (4506)	1746.87	1676.79	-	70.08
2018-19 **Upto Oct 2018**	2202 अशा॰ माध्यमिक शिक्षा (4506)	1411.88	1014.53	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त		व्यय		अधिक्य (+)		बचत (-)	
		GoI	**State**	**GoI**	**State**	**GoI**	**State**	**GoI**	**State**
2015-16		-Nil-							
2016-17									
2017-18									
योग:									

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन॰जी॰ओ का विवरण:

S.No	Year	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	-Nil-	
2	2016-17		
3	2017-18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई द्वारा प्राप्त धनराशि को केंद्र एवं राज्य से प्राप्तियों के रूप मे अलग अलग नहीं रखे जाते है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न है।

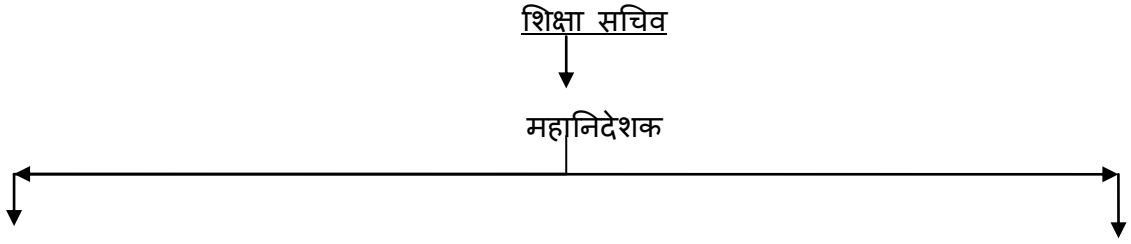

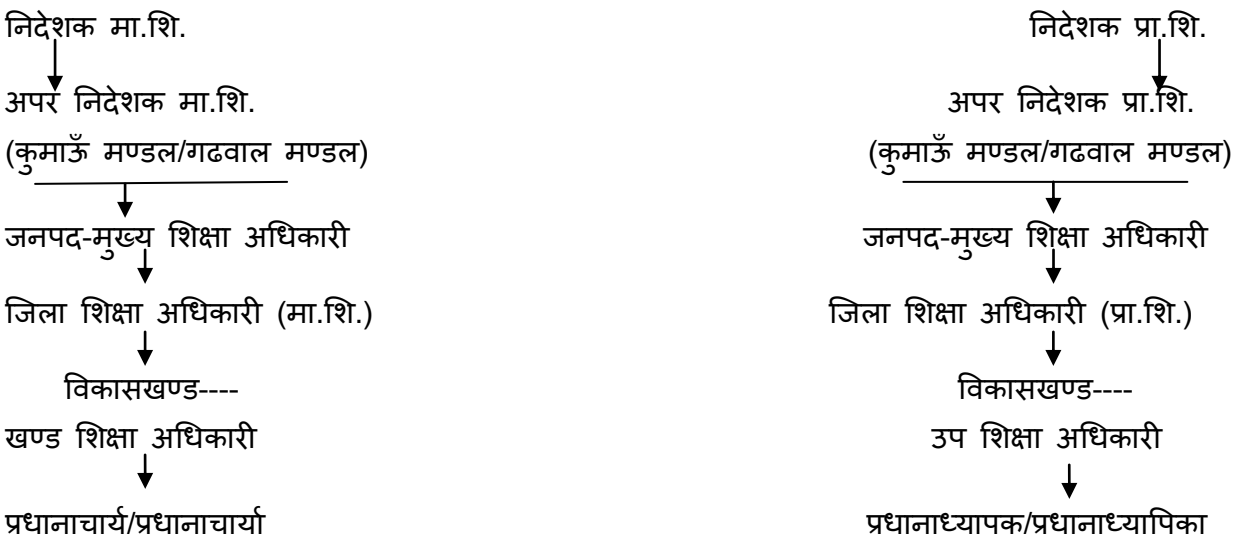

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बागेश्वर जिला है नमूना लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी नहीं किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी, बागेश्वर, उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। आहरण एवं वितरण कोड 4504 हेतु माह मार्च 2016 एवं मार्च 2018 तथा आहरण एवं वितरण कोड 4506 हेतु माह जुलाई 2018 एवं मार्च 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कार्यालय स्तर पर योजनाओ का संचालन किया जाता है

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:1- निर्माण कार्य मे अनुबंध की शर्तो एवं कार्य के स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाना।

नाबार्ड वित्त पोषित आर. आई. डी. एफ. योजना अंतर्गत विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयो हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 मे भवन निर्माण कार्यो हेतु कुल अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप मे 30 प्रतिशत मोबिलाईजेशन अग्रिम के रूप मे रु 50.854 लाख[1] अवमुक्त किया गया था (मार्च 2018) जो निम्न शर्तो के अधीन था:

(i) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय करते समय इन कार्यो की स्वीकृति के संबंध मे राज्य योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश मे उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) कार्य हेतु अनुमोदित आगणन मे उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत दरो के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नहीं है अथवा बाज़ार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) निर्माण सामग्री को उपयोग मे लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला मे अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग मे लायी जाए तथा आगणन मे प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(iv) स्वीकृत धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र नाबार्ड को उपलब्ध कराते हुए उक्त की प्रति शासन को भी उपलब्ध कराई जाए।

कार्य को संपादित कराने हेतु कार्यदाई संस्था परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखंड पेयजल निगम, रानीखेत के साथ अनुबंध गठित किए गए थे (मार्च 2018)। जिसकी शर्ते निम्न थी:

(i) निर्माण एजेंसी द्वारा परियोजना के कार्य उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत दरों एवं विशिष्टियों तथा बाज़ार भाव के अनुसार डिपॉज़िट कार्यो के अंतर्गत विभागीय नियमानुसार कराया जाएगा।

(ii) परियोजना के अंतर्गत निर्माण एजेंसी को परियोजना की धनराशि प्राप्त होने की तिथि अथवा विवाद रहित कार्य स्थल निर्माण एजेंसी जो प्राप्त होने की तिथि मे से जो भी विलंब की तिथि हो वह परियोजना के कार्य प्रारम्भ की तिथि मानी जाएगी।

---

[1] 1. राजकीय इंटर कॉलेज कफ़िलगैर मे भवन का निर्माण: लागत रु 94.920 लाख निर्गत राशि रु 25.628 लाख, 2. राजकीय इंटर कॉलेज अमस्यारी मे भवन का निर्माण: लागत रु 93.43 लाख निर्गत राशि रु 25.226 लाख।

(iii) परियोजना और उसके विभिन्न संघटकों के प्रयोजन हेतु अधिप्राप्ति समय समय पर लागू अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार की जाएगी। (अनुबंध का प्रस्तर 8)

(iv) निर्माण एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त भूकंपरोधी तकनीकी, डिजाइन तथा संरचना अपनाई गयी है। (अनुबंध के प्रस्तर 10)

(v) निर्माण एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त वर्षा जल संचय प्रणाली शामिल की गयी है। (अनुबंध के प्रस्तर 11)

इकाई के लेखापरीक्षा (नवम्बर 2018) मे देखा गया कि नवम्बर 2018 मे प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार स्थल एवं फ़ाउंडेशन निर्माण कार्य पूर्ण था, कालम कास्टिंग का कार्य डोर लेवल तक पूर्ण हो चुका था। आगे देखा गया कि कार्य के संबंध मे जारी शर्तो के अनुपालन मे "निर्माण सामग्री को उपयोग मे लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला मे अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग मे लायी जाए" के अनुपालन मे सामग्री के परीक्षण के संबंध मे अनुबंध मे कोई शर्त नहीं डाली गयी थी, जिसके कारण कार्य मे प्रयुक्त निम्न गुणवत्ता युक्त सामग्री की जांच के संबंध मे कार्यदाई संस्था के दायित्यों का निर्धारण नहीं किया जा सका।

कार्यदाई संस्था के साथ गठित अनुबंध के अनुक्रम मे लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि निर्माण हेतु कार्यदाई संस्था का चयन शासन स्तर से ही किया गया था अनुबंध मे दी गयी शर्त के अनुपालन मे कार्य स्थल के मृदा परीक्षण एवं कार्य मे प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता जांच के संबंध मे अभिलेख / प्रतिवेदन कार्यदाई संस्था से प्राप्त कर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस प्रकार कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु अनुबंध मे उल्लिखित शर्तो के अनुपालन नहीं किए गए थे जिससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:2- भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही कार्यदायी संस्था को रु 11.66 लाख निर्गत किया जाना।

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल निगम, रानीखेत के प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन (अक्टूबर 2018) के अवलोकन मे देखा गया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी, वागेश्वर द्वारा जिला योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 मे राजकीय इंटर कालेज, बघर मे 01 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी[2] (अगस्त 2016)। प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार कार्य की स्वीकृत लागत रु 11.66 लाख थी जिसे इकाई को निर्गत कर दिया गया था। कार्य को दिसम्बर 2016 मे प्रारम्भ कर सितम्बर 2017 मे पूर्ण किया जाना था परंतु एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत अक्टूबर 2018 तक भी कार्य की प्रगति शून्य प्रतिशत थी। प्रगति प्रतिवेदन मे उल्लेखित था कि निर्माण स्थल विवादित था तथा अन्यत्र भूमि का चयन किया जा रहा था।

इस प्रकार स्पष्ट था की भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही कार्यदायी संस्था को रु 11.66 लाख निर्गत किए गए जो एक वर्ष 10 माह से कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्ध था।

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा (नवम्बर 2018) मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा विवादित भूमि के संबंध मे कोई उत्तर नहीं दिया गया, कार्य की प्रगति के संबंध मे बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा दिसंबर 2018 मे कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा मे उठाई गयी आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः कार्यस्थल के समुचित चयन किये बिना कार्यदायी संस्था को रु. 11.66 लाख निर्गत कर दिये जाने से कार्यदाई संस्था के पास धनराशि के अवरूद्ध रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

[2] शासनादेश संख्या 7162 / जिला योजना निर्माण / 2016-17 दिनांक 22.08.2016

STAN

प्रस्तर-1 - कार्यालय स्तर पर धनराशि ₹ 05.06 लाख का अवरोधन।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/वित्त अधिकारी (माध्यमिक), बागेश्वर के बजट/ व्यय विवरण संबंधी अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि कार्यालय को 2017-18 मे शासन/निदेशालय द्वारा (DDO- 4504) मुख्य लेखा शीर्षक 2202 (सामान्य शिक्षा) के अंतर्गत शिक्षा सत्र 2017-18 हेतु राजकीय विद्यालयों मे अध्यनरत कक्षा 09 से 12 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु एकमुस्त पुस्तकीय सहायता धनराशि ₹ 34.55 लाख आवंटित किया गया। लेखापरीक्षा तिथि तक कार्यालय के द्वारा उक्त धनराशि मे से धनराशि ₹ 29.49 लाख माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु पुस्तकीय सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया तथा अवशेष धनराशि ₹ 5.06 लाख कार्यालय के बैंक खाते मे अवशेष पड़ा हुआ था। जबकि कार्यालय के द्वारा उक्त पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दिया गया।

उक्त धनराशि ₹ 34.55 लाख मे से लेखापरीक्षा तिथि तक सिर्फ धनराशि ₹ 29.49 लाख ही विद्यालयों को प्रेषित किए जाने को इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि अवशेष धनराशि विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होने के कारण बैंक खाते मे अवशेष पड़ा हुआ है एवं इसे राजकोष मे समर्पित/जमा कर दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा तिथी तक धनराशि को समर्पित नहीं किया गया था। अतः उक्त धनराशि का बैंक खाते मे लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर	भाग-II 'ब' प्रस्तर	Stan
12/2015-16	शून्य	01	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
12/2015-16	प्रत्युत्तर उच्चाधिकारियों की संस्तुति के उपरांत कार्यालय प्रधान महालेखाकार को प्रेषित कर दी जायेगी।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी बागेश्वर, उत्तराखंड तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1॰	श्री बी॰ एन॰ सिंह(प्रभारी)	मुख्य शिक्षा अधिकारी	17.03.2015 से 31.07.2015
2॰	श्री रमेश चन्द्र आर्य	मुख्य शिक्षा अधिकारी	06.08.2015 से 23.05.2017
3॰	श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	मुख्य शिक्षा अधिकारी	23.05.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी बागेश्वर, उत्तराखंड को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा. क्षे.